



अधिसूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा २७(४) के प्राविधानानुसार कुलपति महोदय के आदेश दिनांक २३.०६.२०२२ के अनुपालन में प्रो० अशोक शुक्ला, संकायाध्यक्ष, याणिज्य एवं प्रबन्ध संकाय की अधिवर्षिता आयु दिनांक २४.०६.२०२२ को पूर्ण होने के पश्चात् वरिष्ठतानुक्रम में चकानुसार प्रो० हिमांशु शेखर सिंह, व्यवसाय प्रबन्धन एवं उद्यमिता विभाग, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या को याणिज्य एवं प्रबन्ध संकाय का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

प्रो० हिमांशु शेखर सिंह का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने तक अथवा इस सम्बन्ध में अन्य कोई अग्रिम आदेश निर्गत होने तक, जो भी पूर्व में हो, तक होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

१. प्रो० हिमांशु शेखर सिंह, व्यवसाय प्रबन्धन एवं उद्यमिता विभाग, डॉ०रा०लो० अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
२. प्रो० अशोक शुक्ला, व्यवसाय प्रबन्धन एवं उद्यमिता विभाग, डॉ०रा०लो० अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
३. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
४. कुलानुशासक/अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण।
५. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
६. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
७. आशुलिपिक, वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी के सूचनार्थ।
८. आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
९. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव